कम्युनिस्ट पार्टी के महिलाओं के बीच काम करने के तरीके और रूप

थीसिस

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत

कम्युनिस्ट पार्टी के महिलाओं के बीच काम करने के तरीक़े और रूप

थीसिस

(कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत)

मुक्तिबोध प्रकाशन

(स्रोत : Methods and Forms of Work among Communist Party Women: Theses, 8 July 1921, 'Theses, Resolutions and Manifestos of the First Four Congress of the Third International', translated by Alix Holt and Barbara Holland. Ink Links 1980)

कम्युनिस्ट पार्टी के महिलाओं के बीच काम करने के तरीक़े और रूप

मुक्तिबोध प्रकाशन

एलआईजी-570, नज़दीक अय्यपा मंदिर, फ़ेस 1, अर्बन इस्टेट,
जमालपुर कॉलोनी, लुधियाणा, पंजाब, भारत–141010
फ़ोन नंबर : 98155-87807

पहला संस्करण : जनवरी 2022

कवर डिज़ाइन एवं टाइपसेटिंग : तजिंदर और विमला

मुद्रण : अप्पू आर्ट्स, जलंधर

मूल्य : 20 रुपए

कम्युनिस्ट पार्टी के महिलाओं के बीच काम करने के तरीक़े और रूप : थीसिस

(कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 8 जुलाई, 1921)

बुनियादी सिद्धांत :

1. कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट महिलाओं के दूसरे अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के साथ तालमेल बनाते हुए, फिर से पहली और दूसरी कांग्रेस के इन फ़ैसलों को स्वीकार करती है कि पूर्व और पश्चिम की सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को मज़दूर महिलाओं के व्यापक समुदाय को कम्युनिस्ट विचारों से शिक्षित करते हुए और सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष में उनको खींचते हुए, महिला सर्वहारा के बीच में काम बढ़ाना चाहिए, ताकि मज़दूरों के सोवियत गणराज्य का निर्माण हो सके।

पूरी दुनिया में मज़दूर वर्ग और परिणामस्वरूप मज़दूर महिलाएँ, सर्वहारा की तानाशाही के प्रश्न से जूझ रही हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था एक बंद गली में दाख़िल हो चुकी है। पूँजीवाद के दायरे में अब उत्पादन शक्तियों का और विकास संभव नहीं है। मेहनतकशों के जीवन में तेज़ गिरावट, उत्पादन को बहाल करने की बुर्जुआ की असमर्थता, सट्टेबाज़ी में वृद्धि, उत्पादन का छिन्न-भिन्न होना, बेरोज़गारी, क़ीमतों में उतार-चढ़ाव और क़ीमतों और मज़दूरी के बीच की खाई, इन सबसे हर जगह वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी तौर पर तीखा हो रहा है। यह संघर्ष तय करता है कि कौन

और कैसी व्यवस्था उत्पादन का नेतृत्व, प्रशासन और संगठन सँभालेगी – या तो मुट्ठीभर पूँजीपति या कम्युनिज़्म के सिद्धांत पर आधारित मज़दूर वर्ग।

नवोदित सर्वहारा वर्ग को, आर्थिक विकास के नियमों के अनुकूल उत्पादन तंत्र को अपने हाथों में लेना चाहिए और नए आर्थिक रूपों का सृजन करना चाहिए। केवल तब ही वह ऐसी स्थिति में आ पाएगा कि उत्पादक शक्तियों के अधिकतम विकास को प्रोत्साहित कर सके, जिसे पूँजीवादी उत्पादन की अराजकता ने रोका हुआ है।

जब तक सत्ता बुर्जुआ वर्ग के हाथ में है, सर्वहारा उत्पादन को संगठित नहीं कर सकता है। जब तक सत्ता उनके हाथों में है, ऐसा कोई तरीक़ा या सुधार नहीं है जिसके द्वारा पूँजीवादी देशों की जनतांत्रिक या समाजवादी सरकारें परिस्थिति को सँभाल सके और पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के चरमराने की वजह से मेहनतकश महिला और पुरुषों पर होने वाली भयंकर और असहनीय कठिनाइयों को समाप्त किया जा सके। सत्ता पर क़ब्ज़ा करके ही उत्पादकों का वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी हो सकता है; और इस तरह मेहनतकश अवाम के हित में आर्थिक विकास के निर्देशन को संभव बना सकता है।

सर्वहारा और कालातीत पूँजीवादी दुनिया के बीच होने वाले अवश्यंभावी और अंतिम युद्ध को तेज़ करने के लिए, मज़दूर वर्ग को तीसरे इंटरनेशनल द्वारा चिह्नित रणकौशलों को कसकर और बिना हिचकिचाहट के पकड़ना चाहिए। सर्वहारा की तानाशाही बुनियादी और तात्कालिक लक्ष्य है और यह दोनों लिंगों के सर्वहारा के लिए काम के तरीक़े और संघर्ष की दिशा को निश्चित करता है।

पूँजीवादी देशों में सर्वहारा के सामने सर्वहारा की तानाशाही के लिए संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन देशों में जहाँ तानाशाही पहले से मज़दूरों के हाथ में है, कम्युनिस्ट समाज का निर्माण निर्णायक प्रश्न बना हुआ है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस दुहराती है कि महिला सर्वहारा और अर्ध-सर्वहारा महिलाओं के व्यापक जनसमूह की सक्रिय भागीदारी के बग़ैर सर्वहारा न तो सत्ता पर क़ब्ज़ा कर सकता है और न ही कम्युनिज़्म तक पहुँच सकता है।

साथ ही, कांग्रेस एक बार फिर सभी महिलाओं का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचती है कि महिलाओं की मुक्ति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को अगर कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग नहीं मिलेगा, तो बराबर के इंसान के रूप में महिलाओं के अधिकारों की मान्यता और उनकी वास्तविक मुक्ति व्यवहार में नहीं जीती जा सकती है।

2. ख़ास तौर पर वर्तमान हालात में, यह मज़दूर वर्ग के हित में है कि कम्युनिज़्म के लिए लड़ाई में सर्वहारा की संगठित पाँतों में महिलाएँ शामिल हों। जैसे-जैसे आर्थिक अव्यवस्था वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और इसके परिणाम सभी शहरी और ग्रामीण ग़रीबों पर कहर ढा रहे हैं, बुर्जुआ पूँजीवादी देशों में सामाजिक क्रांति का प्रश्न सर्वहारा के सामने और भी तीखे ढंग से पेश हो रहा है, जबकि सोवियत रूस के मज़दूर वर्ग के सामने नई कम्युनिस्ट लाइन पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के गठन का कार्यभार खड़ा है। महिलाओं की सक्रिय, सचेत और दृढ़ भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल हो।

जहाँ सत्ता पर क़ब्ज़े का प्रश्न सीधे आ खड़ा हुआ है, वहाँ आंदोलन से बाहर पड़ी निष्क्रिय मेहनतकश महिलाओं (गृहिणियाँ, दफ़्तरों में काम करने वाली महिलाएँ और किसान महिलाएँ जो कि अभी भी बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण, चर्च और परंपराओं के प्रभाव में हैं और कम्युनिज़्म के लिए होने वाली महान मुक्ति की लड़ाई से जिनका कोई संबंध नहीं है) से क्रांति को होने वाले ख़तरे की बात कम्युनिस्ट पार्टी को ध्यान में रखनी होगी। आंदोलन से बाहर जो महिलाएँ हैं, वे अवश्यंभावी तौर पर बुर्जुआ विचारों की गढ़ हैं और पूरब और पश्चिम दोनों जगह प्रतिक्रांतिकारी प्रचार का ग्राह्य समूह हैं। हंगरी की क्रांति का अनुभव, जहाँ महिलाओं में वर्ग चेतना के अभाव ने इतनी दुखद भूमिका अदा की, दूसरी जगहों के सर्वहारा के लिए जो कि सामाजिक क्रांति के रास्ते पर चल रहे हैं, एक चेतावनी है।

दूसरी तरफ़, सोवियत गणराज्य की घटनाएँ इस बात की ठोस उदाहरण हैं कि गृह युद्ध, गणराज्य की सुरक्षा और सोवियत जीवन के अन्य सभी हिस्सों में मज़दूर और किसान महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़रूरी है। मज़दूर और

किसान महिलाओं ने सोवियत गणराज्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है यह प्रतिरक्षा संगठित करने में, घरेलू मोर्चे को मज़बूत करने में, भगोड़ेपन और सभी तरह के प्रतिक्रांतिकारी कार्यवाहियों, तोड़-फोड़ आदि से लड़ने में देखी जा चुकी है। दूसरे देशों को मज़दूरों के गणराज्य के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला आबादी के व्यापकतम संस्तरों को अपने प्रभाव में लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों को पार्टी के भीतर विशेष ढाँचे खड़े करने चाहिए और महिलाओं को बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण से मुक्त करवाने के लिए, उन्हें साम्यवाद के दृढ़ योद्धाओं के बतौर शिक्षित करने के लिए व परिणामस्वरूप उनके पूर्ण विकास हेतु; महिलाओं तक पहुँचने के विशेष तौर-तरीक़े स्थापित करने होंगे।

3. महिला सर्वहारा के बीच में पार्टी कार्य में सुधार को पूरब और पश्चिम, दोनों ही जगह की कम्युनिस्ट पार्टियों का तात्कालिक कार्यभार चिह्नित करते हुए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस साथ ही मेहनतकश महिलाओं को बताती है कि सदियों की दासता, अधिकारविहीनता और ग़ैर-बराबरी से उनकी मुक्ति ***सिर्फ़ कम्युनिज़्म की विजय द्वारा संभव है***, और बुर्जुआ नारी आंदोलन महिलाओं को वह दिलाने में पूर्णतः अक्षम है जो कि कम्युनिज़्म देता है। जब तक पूँजी की सत्ता और निजी संपत्ति का अस्तित्व है तब तक पति पर निर्भरता से नारी की मुक्ति अपनी संपत्ति और अपनी मज़दूरी के मालिक होने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अपने पति के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय लेने से आगे नहीं जा सकती।

सबसे उग्र नारीवादी माँग – बुर्जुआ संसदवाद के दायरे में स्त्री को मताधिकार दिलाना स्त्री, ख़ासतौर पर संपत्तिविहीन वर्गों की, की वास्तविक बराबरी के प्रश्न को नहीं सुलझाती। सभी पूँजीवादी देशों में जहाँ हाल के वर्षों में बुर्जुआ ने स्त्री-पुरुष के बीच औपचारिक बराबरी को मान्यता दी है, वहाँ मेहनतकश महिलाओं के अनुभव से यह साफ़ हो जाता है। वोट, परिवार और समाज में महिला की दासता के मूलभूत कारण को समाप्त नहीं करता। कुछ

बुर्जुआ राज्यों ने सिविल विवाह को, भंग न किए जा सकने वाले विवाह से विस्थापित किया है। लेकिन जब तक सर्वहारा महिला पूँजीपति और रोटी कमाने वाले अपने पति पर आर्थिक तौर पर निर्भर रहती है, और मातृत्व और बचपन की सुरक्षा का मुकम्मिल इंतज़ाम नहीं हो जाता है और सामाजिक शिशुपालन और शिक्षा की विस्तृत व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यह विवाह में महिला की बराबरी की स्थिति नहीं क़ायम कर सकता और न ही स्त्री-पुरुष के संबंधों की समस्या हल कर सकता है।

औपचारिक तौर पर सतही बराबरी के बरक्स महिलाओं की वास्तविक बराबरी सिर्फ़ कम्युनिज़्म में प्राप्त की जा सकती है, जब महिला और मेहनतकश वर्ग के सभी अन्य सदस्य उत्पादन और वितरण के साधनों के सामूहिक स्वामी बन जाएँगे और उनको प्रशासित करने में भागीदारी करेंगे और महिला श्रमिक समाज के सभी सदस्यों के साथ काम करने के कर्तव्य का कंधे से कंधा मिलाकर निर्वाह करेंगी; दूसरे शब्दों में यह उत्पादन और शोषण की पूँजीवादी व्यवस्था जो कि मानव श्रम के शोषण पर आधारित है, के ख़ात्मे के द्वारा ही और कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था के संगठन द्वारा ही प्राप्त होगी।

सिर्फ़ कम्युनिज़्म ही वैसी परिस्थिति तैयार करता है, जिसमें कि स्त्री के प्राकृतिक कर्म – मातृत्व और उसकी सामाजिक ज़िम्मेदारियों के बीच का टकराव, जिससे कि समूह के लिए रचनात्मक काम करने में बाधा पैदा होती है, समाप्त हो पाएगा और श्रम समूह के लक्ष्यों और जीवन के साथ मज़बूती से और नज़दीकी के साथ तालमेल बैठाते हुए एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व का सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी विकास पूरा हो सकेगा। सभी महिलाएँ जो कि नारी मुक्ति और उसके अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए लड़ती हैं, उनका उद्देश्य कम्युनिस्ट समाज का निर्माण होना चाहिए।

लेकिन एक वर्ग के बतौर सर्वहारा का भी अंतिम उद्देश्य साम्यवाद है और इसलिए दोनों पक्षों के हित में है कि दोनों संघर्ष 'एकल और अविभाज्य' संघर्ष के रूप में लड़े जाएँ।

4. कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस क्रांतिकारी मार्क्सवाद के

इस मूल अवस्थिति का समर्थन करती है कि स्त्री-प्रश्न जैसा कोई 'विशेष' प्रश्न नहीं है, और न ही कोई विशेष नारी आंदोलन होना चाहिए, कि मेहनतकश महिलाओं और बुर्जुआ नारीवाद के बीच किसी प्रकार के गठबंधन या सामाजिक-समझौतेबाज़ों व अवसरवादियों के ढुलमुल या साफ़ तौर पर दक्षिणपंथी रणकौशलों के समर्थन से सर्वहारा की ताक़तें कमज़ोर होंगी, जिसके परिणामस्वरुप नारी की पूर्ण मुक्ति का वह महान क्षण और ज़्यादा विलंबित हो जाएगा।

कम्युनिस्ट समाज की प्राप्ति विभिन्न वर्गों की महिलाओं के एकजुट प्रयास से नहीं होगी, बल्कि सभी शोषितों के एकजुट संघर्ष से होगी।

सर्वहारा महिलाओं को अपने हित में कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी रणकौशलों का समर्थन करना चाहिए और जनकार्यवाही और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर पैदा होने वाले हर प्रकार और रूप के गृह-युद्ध में जितना संभव हो उतनी सक्रिय व प्रत्यक्ष हिस्सेदारी करनी चाहिए।

5. अपने उच्चतम स्तर पर दोहरे उत्पीड़न (पूँजीवाद के द्वारा और घर के भीतर परिवार पर निर्भरता के द्वारा) के ख़िलाफ़ संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय चरित्र ग्रहण करना चाहिए, जिसे दोनों लिंगों के सर्वहारा को अपनी तानाशाही और सोवियत व्यवस्था के लिए संघर्ष (तीसरे इंटरनेशनल के बैनर तले लड़ा जाने वाला) में विकसित करना चाहिए।

6. कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस बुर्जुआ नारीवादियों के साथ किसी भी तरह से सहयोग या समझौते के ख़िलाफ़ मेहनतकश महिलाओं को चेतावनी देती है। साथ ही सर्वहारा महिलाओं के लिए यह साफ़ करती है कि यह भ्रम कि दूसरे इंटरनेशनल या उसके नज़दीकी अवसरवादी तत्वों को समर्थन देने से नारी मुक्ति के उद्देश्य को कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा, दरअसल सर्वहारा के मुक्ति संघर्ष को बहुत क्षति पहुँचाएगा। महिलाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं की दासता की जड़ बुर्जुआ व्यवस्था में है और इस दासता का अंत करने के लिए नए कम्युनिस्ट समाज को अस्तित्व में आना होगा।

मेहनतकश महिलाएँ जो समर्थन दूसरे और ढाइवें इंटरनेशनल के

ग्रुपों और पार्टियों को देती है उससे सामाजिक क्रांति में अवरोध पैदा होता है, नई व्यवस्था के आगमन मे देरी होती है। अगर महिलाएँ दृढ़ता से और बिना समझौते के दूसरे और ढाइवें इंटरनेशनल से अलग हो जाती हैं तो सामाजिक क्रांति की विजय ज़्यादा सुनिश्चित होगी। कम्युनिस्ट महिलाओं को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के क्रांतिकारी रणकौशलों से भयभीत सभी ताक़तों की भर्त्सना करनी चाहिए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की गोलबंद क़तारों में से उन्हें बाहर रखने के लिए अडिग रहना चाहिए।

महिलाओं को याद रखना चाहिए कि दूसरे इंटरनेशनल ने महिलाओं की पूर्ण मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले किसी संगठन की स्थापना का प्रयास भी नहीं किया। समाजवादी महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय एकीकरण दूसरे इंटरनेशनल के ढाँचे के बाहर स्वयं मज़दूर महिलाओं के प्रयासों से शुरू हुआ। समाजवादी महिलाएँ जिन्होंने महिलाओं के बीच में विशेष कार्य किए उनको न तो उचित स्थान मिला, न ही प्रतिनिधित्व और न ही मतदान के पूरे अधिकार।

1919 में अपनी पहली कांग्रेस में ही तीसरे इंटरनेशनल ने सर्वहारा तानाशाही की प्राप्ति के संघर्ष में महिलाओं को शामिल करने के प्रश्न पर अपनी सोच का सूत्रीकरण किया। कांग्रेस ने महिला कम्युनिस्टों की एक कांफ्रेंस बुलाई और 1920 में महिलाओं के बीच काम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना हुई, जिसकी एक स्थाई प्रतिनिधि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यकारिणी में शामिल की गई। सभी वर्ग सचेत मज़दूर महिलाओं को दूसरे इंटरनेशनल से बिना शर्त संबंध तोड़ लेने चाहिए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्रांतिकारी लाइन को अपना समर्थन देना चाहिए।

7. फ़ैक्टरियों, दफ़्तरों और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ना चाहिए। उन देशों और पार्टियों में, जहाँ दूसरे और तीसरे इंटरनेशनल के बीच के संघर्ष का फ़ैसला अभी नहीं हुआ है, वहाँ मज़दूर महिलाओं को उस पार्टी या ग्रुप को, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ हैं, के समर्थन में वे सभी चीज़ें करनी चाहिए जो वे कर सकती हैं, चाहे स्थापित नेता जो

कुछ भी कहते और करते हैं, उनको सभी ढुलमुल तत्वों और दूसरे पक्ष में चले गए तत्वों के ख़िलाफ़ निर्मम संघर्ष करना चाहिए। वर्ग सचेत सर्वहारा महिलाएँ जो मुक्ति चाहती हैं, उन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से बाहर खड़ी पार्टियों में नहीं रुकना चाहिए।

तीसरे इंटरनेशनल के विरुद्ध होने का अर्थ है – नारी मुक्ति का दुश्मन होना।

पूरब और पश्चिम, दोनों ही जगहों की वर्ग सचेत मेहनतकश महिलाओं को अपने देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्य के बतौर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का समर्थन करना चाहिए। उनकी तरफ़ से कोई भी हिचकिचाहट या जानी-मानी समझौतावादी पार्टियों और स्थापित नेताओं से अलग होने का डर, महान सर्वहारा संघर्ष, जो कि निर्मम और वैश्विक गृहयुद्ध के रूप में विकसित हो रहा है, को बहुत नुक़सान पहुँचाएगा।

महिलाओं के बीच में काम के तरीक़े और रूप

अतः कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस यह मानती है कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को महिला सर्वहारा के बीच निम्न आधार पर काम करना चाहिए :

1. महिलाओं को सभी जुझारू वर्ग संगठनों – पार्टी, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थाओं, फ़ैक्टरी, प्रतिनिधियों की सोवियतों इत्यादि में बराबर अधिकार और बराबर ज़िम्मेदारियों के साथ शामिल करना चाहिए।
2. सर्वहारा के सक्रिय संघर्ष (सर्वहारा की सैन्य प्रतिरक्षा समेत) के और सभी क्षेत्रों में नए समाज की बुनियाद के निर्माण में और उत्पादन और दिन-प्रतिदिन के जीवन को कम्युनिस्ट लाइन पर संगठित करने में महिलाओं का शामिल करने की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए।
3. मातृत्व की ज़िम्मेदारी को सामाजिक ज़िम्मेदारी के बतौर माना जाना चाहिए और स्त्री की बच्चों की जननी के रूप में रक्षा और बचाव करने के

लिए उपयुक्त क़दम उठाए जाने चाहिए अथवा इनके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस पार्टियों और ट्रेड यूनियनों में महिलाओं के किसी भी तरह के अलग संघों का या महिलाओं के विशेष संगठनों का दृढ़ता से विरोध करती है, लेकिन स्वीकार करती है कि –

महिलाओं के बीच काम करने के विशेष तरीक़े होने चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी को इस काम के लिए विशेष उपकरण बनाना चहिए। यह अवस्थिति ग्रहण करने में कांग्रेस निम्न बातों को ध्यान में रखती है:

(क) वह उत्पीड़न, जो कि स्त्री न सिर्फ़ बुर्जुआ पूँजीवादी देशों में, बल्कि सोवियत संरचना वाले देशों में भी, पूँजीवाद से कम्युनिज़्म तक के संक्रमण के दौरान झेलती है;

(ख) महिलाओं की अत्यधिक निष्क्रियता और राजनीतिक पिछड़ापन जिसकी व्याख्या इस तथ्य से होती है कि सदियों से महिलाओं को सामाजिक जीवन से बाहर रखा गया है और परिवार में दासता की अवस्था में रखा गया है।

(ग) शिशु जन्म की विशेष भूमिका जो कि प्रकृति महिलाओं को प्रदान करती है और इस कार्य से संबंधित विशिष्टताएँ इस बात की माँग करती है कि संपूर्ण समूह के हित में उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए;

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस इसलिए यह मानती है कि महिलाओं के बीच काम करने के लिए विशेष उपकरण की ज़रूरत है। इस उपकरण का गठन हर स्तर पर सभी पार्टी कमेटियों, पार्टी केंद्रीय समिति से लेकर नीचे शहरी, ज़िला या स्थानीय पार्टी कमेटी तक, से संबद्ध आयोगों या विभागों के रूप में होगा जो कि महिलाओं के बीच काम को देखेंगे। यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी है।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस इंगित करती है कि इन विभागों के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो काम करेंगी, उनमें निम्न शामिल हैं :

1. महिलाओं को कम्युनिस्ट विचारों में शिक्षित करना और उनको पार्टी क़तारों में शामिल करना।
2. पुरुष सर्वहारा समुदाय के भीतर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों के ख़िलाफ़ लड़ना और पुरुष मज़दूरों और महिला मज़दूरों के दरमियान यह समझदारी बढ़ाना कि उनके हित साझे हैं।
3. सभी रूप और तरीक़े के गृहयुद्धों में मेहनतकश महिलाओं को शामिल कर, बुर्जुआ देशों की महिलाओं को पूँजीवादी शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष में, जीवनयापन के बढ़ते ख़र्चों के ख़िलाफ़, आवास की कमी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी और दूसरी सामाजिक समस्याओं के इर्द-गिर्द जन कार्यवाही में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर और सोवियत गणराज्यों में कम्युनिस्ट व्यक्तित्व और कम्युनिस्ट जीवन पद्धति के निर्माण में महिलाओं के भाग लेने के द्वारा उनकी इच्छाशक्ति को बढ़ाना।
4. महिलाओं की मुक्ति से संबंधित प्रश्नों को पार्टी की कार्यसूची और विधायिका के प्रस्तावों में प्रत्यक्षतः रखना। उनकी मुक्ति को सुनिश्चित करना, शिशु जननी के रूप में उनके हितों की रक्षा करना।
5. परंपरा, बुर्जुआ रिवाज़ों और धार्मिक विचारों की ताक़त के ख़िलाफ़ सुनियोजित संघर्ष करना जिससे कि स्त्री और पुरुष के बीच स्वस्थ और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंधों का रास्ता साफ़ हो, मेहनतकश अवाम की शारीरिक और नैतिक जीवनशक्ति सुनिश्चित हो।

पार्टी कमेटियों को सीधे महिलाओं के विभागों या आयोगों के सभी कामों का नेतृत्व करना चाहिए और उनके लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए। विभाग या आयोग की प्रमुख को पार्टी कमेटी का सदस्य होना चाहिए। जहाँ भी संभव हो विभागों या आयोगों के सदस्य कम्युनिस्ट होने चाहिए।

आयोग या विभाग को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करना चाहिए। सोवियत देशों में उपयुक्त आर्थिक और राजनीतिक अंगों (सोवियत विभाग, आयोग, ट्रेड यूनियनें) के माध्यम से उन्हें काम करना चाहिए; पूँजीवादी देशों में इनको

उपयुक्त सर्वहारा संगठनों; पार्टी, यूनियनों, सोवियतों इत्यादि का सहयोग मिलना चाहिए।

जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टियों का अस्तित्व ग़ैर-क़ानूनी या अर्ध-क़ानूनी है वहाँ भी महिलाओं में काम करने के लिए उनको कोई उपकरण बनाना चाहिए। इस उपकरण को आम पार्टी उपकरण के मातहत होना चाहिए और इसे ग़ैर-क़ानूनी परिस्थिति के अनुकूल ढाला जाना चाहिए। सभी स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय ग़ैर-क़ानूनी संगठनों में, क़ानूनी संगठनों की तरह, महिलाओं के बीच प्रचार संगठित करने के लिए एक महिला कामरेड को ज़िम्मेदार बनाना चाहिए। आधुनिक युग में ***ट्रेड यूनियनों, उत्पादन यूनियनों एवं सहकारी समितियों*** को दोनों ही तरह के देशों में, जहाँ-जहाँ पूँजी की सत्ता पलटने के लिए संघर्ष अभी भी जारी है और जहाँ मज़दूरों का सोवियत गणराज्य क़ायम है, महिलाओं के बीच पार्टी कार्य करने के लिए आधार बनाना चाहिए।

महिलाओं के बीच काम को पार्टी आंदोलन और संगठन की एकता की समझदारी से लैस होना चाहिए, लेकिन साथ ही स्वतंत्र पहलक़दमी दिखानी चाहिए और दूसरे पार्टी आयोगों और अनुभागों से स्वतंत्र तौर पर आगे बढ़ते हुए महिलाओं की तीव्र और पूर्ण मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। लक्ष्य, काम को दोहराना नहीं होना चाहिए बल्कि मज़दूर महिलाओं को पार्टी और इसकी कार्यवाहियों में मदद करने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

सोवियत देशों में महिलाओं के बीच पार्टी कार्य

सोवियत मज़दूरों के गणराज्य में विभागों की भूमिका है कि वे महिलाओं को कम्युनिस्ट विचारों से शिक्षित करे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल करें और उनकी स्व-सक्रियता और स्वतंत्रता विकसित करें, कम्युनिज़्म के निर्माण में उनको शामिल करें और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का दृढ़ रक्षक बनने के लिए शिक्षित करें।

विभागों को चाहिए कि वे सोवियत निर्माण के हर क्षेत्र में, रक्षा से लेकर गणराज्य की ढेर सारी व जटिल आर्थिक योजनाओं में महिलाओं को भाग लेने में मदद करें।

सोवियत गणराज्य में विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोवियतों की आठवीं कांग्रेस के प्रस्ताव मज़दूर और किसान महिलाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण और संगठन में शामिल करने और उत्पादन को निर्देशित, प्रशासित, नियंत्रित और संगठित करने वाले, निकायों में उनकी भागीदारी के बारे में लिए गए, प्रस्ताव लागू होते हैं। अपने प्रतिनिधियों और अपने पार्टी निकायों के द्वारा विभागों को नए क़ानूनों को बनाने में भागीदारी करनी चाहिए और नारी मुक्ति के हित में जिन क़ानूनों को बदलने की ज़रूरत है, उनके फिर से लिखे जाने को प्रभावित करना चाहिए। महिलाओं और कम उम्र के लोगों के श्रम की रक्षा करने के लिए क़ानून बनाने में विभागों को ख़ास पहलक़दमी लेनी चाहिए।

सोवियत चुनाव अभियानों में विभागों को चाहिए कि मज़दूर और किसान महिलाओं को अधिकतम संभव संख्या में शामिल करें और ध्यान रखें कि सोवियतों और इनकी कार्यकारिणी में मज़दूर और किसान महिलाएँ चुनी जाएँ।

पार्टी द्वारा संचालित सभी राजनीतिक और आर्थिक अभियानों की सफलता के लिए विभागों को काम करना चाहिए।

महिलाओं की तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाकर और मज़दूर और किसान महिलाओं की उपयुक्त शैक्षिक संस्थाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके विभागों को चाहिए कि महिलाओं की कुशलता को बढ़ावा दें।

विभागों का यह काम है कि वे देखें कि श्रम की सुरक्षा के लिए बने उद्यम आयोगों में मज़दूर महिलाएँ ली जाएँ और मातृत्व और बचपन की सुरक्षा के लिए बने मदद आयोग और ज़्यादा सक्रिय हों।

सामाजिक संस्थाओं : सामुदायिक भोजन कक्षों, लाउंड्रियों, मरम्मत की दुकानें, सामाजिक कल्याण की संस्थाएँ, आवास कम्यून इत्यादि जो कि प्रतिदिन

के जीवन को नई कम्युनिस्ट लाइन पर रूपांतरित करते हैं और महिलाओं को संक्रमण काल के कठिनाइयों से मुक्त करते हैं, का पूरा जाल खड़ा करने में विभागों को मदद करनी चाहिए। ऐसी सामाजिक संस्थाएँ, घर और परिवार के ग़ुलाम को मज़दूर वर्ग – वह वर्ग जो अपना मालिक स्वयं है और जो कि जीविका के नए रूपों का जन्मदाता है – का सदस्य बनाकर स्त्री के प्रतिदिन के जीवन को रूपांतरित करती हैं।

विभागों को चाहिए कि वे ट्रेड यूनियनों के भीतर कम्युनिस्ट फ़्रैक्शन द्वारा गठित महिलाओं के बीच काम करने वाले संगठनों की मदद से महिला ट्रेड यूनियन सदस्यों की कम्युनिस्ट विचारों में शिक्षा को प्रोत्साहित करे।

विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि मज़दूर महिलाएँ आम फ़ैक्टरी और आम फ़ैक्टरी डेलीगेट बैठकों में जाएँ।

विभागों को चाहिए कि सोवियत, आर्थिक और यूनियन कार्य में व्यवस्थित तरीक़े से डेलीगेट प्रैक्टिशनरों को नियुक्त करें।

(जब डेलीगेटों को गर्भावस्था के अंतिम महीनों में मज़दूरी लेते हुए फ़ैक्टरी के कामों से मुक्त कर दिया जाता था तो उन्हें "प्रैक्टिशनर" कहते थे। विचार यह था कि वे सोवियत संस्थाओं में काम करें और इस तरह सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त करें।)

पार्टी के महिला विभागों को सर्वप्रथम मज़दूर महिलाओं के साथ दृढ़ संबंध बनाने के लिए और गृहिणियों, दफ़्तर कर्मचारियों और ग़रीब किसान महिलाओं के साथ नज़दीकी संपर्क बनाने के लिए काम करना चाहिए।

विभागों को मज़दूर महिलाओं की डेलीगेट बैठकें बुलानी और संगठित करनी चाहिए ताकि पार्टी व जनता के बीच दृढ़ संबंध स्थापित हो, पार्टी के प्रभाव का विस्तार ग़ैर-पार्टी जनता तक हो और स्वतंत्र कार्यवाही और व्यावहारिक कार्यों में भागीदारी द्वारा आम महिलाओं को कम्युनिस्ट विचारों में शिक्षित किया जा सके।

डेलीगेट बैठकें मज़दूर और किसान महिलाओं को शिक्षित करने का सबसे

प्रभावशाली तरीक़ा है; डेलीगेटों के माध्यम से पार्टी का प्रभाव मज़दूर और किसान महिलाओं के ग़ैर-पार्टी हिस्से और पिछड़े हिस्से तक विस्तृत किया जा सकता है।

डेलीगेट बैठकों में संबंधित क्षेत्र, शहर या ग्रामीण इलाक़े (जहाँ किसान महिलाओं की बैठकों के ज़रिए ग्रामीण डेलीगेट चुनने का प्रश्न हो) की फ़ैक्टरियों के प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए या फिर उस मोहल्ले के प्रतिनिधि होने चाहिए जहाँ से गृहिणी डेलीगेट चुनने का प्रश्न दरपेश हो। सोवियत रूस में डेलीगेट हर प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक अभियान में भाग लेती हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यम/आयोगों में काम करने के लिए भेजी जाती हैं, सोवियत संस्थाओं के नियंत्रण में शामिल की जाती हैं और अंततः, सोवियतों के विभागों में दो महीने की अवधि के लिए प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करती हैं। (1921 का क़ानून)

डेलीगेटों का चुनाव पार्टी द्वारा तय किए गए तरीक़े के अनुसार वर्कशाप बैठकों में या गृहिणियों की बैठक में या दफ़्तर कर्मियों की बैठक में होना चाहिए। विभागों को डेलीगेटों के बीच प्रचार और उद्वेलन के कार्य करने चाहिए, जिसके लिए कम-से-कम महीने में दो बैठकें होनी चाहिए। डेलीगेटों को अपने कार्य की रिपोर्ट अपनी 'शाप' या अपने आवासीय इलाक़े की बैठकों में देनी चाहिए। डेलीगेट तीन माह की अवधि के लिए चुनी जाती हैं। मज़दूर और किसान महिलाओं की व्यापक आधार वाली ग़ैर-पार्टी कांफ्रेंसें आम महिलाओं के बीच उद्वेलन का दूसरा तरीक़ा है। इन कांफ्रेंसों में जो प्रतिनिधि हिस्सेदारी करती हैं, उनका चुनाव उद्यमों की मज़दूर महिलाओं और गाँवों में किसान महिलाओं की बैठकों में होता है।

इन कांफ्रेंसों को बुलाने और संगठित करने में मज़दूर महिलाओं के विभाग काम करते है।

विभाग या आयोग मौखिक और छपे हुए, सतत और विस्तृत प्रचार करते हैं, ताकि पार्टी के व्यावहारिक कामों के दौरान मज़दूर महिलाओं को जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर आगे बढ़ा जा सके। विभाग, बैठकों और बहसों का

आयोजन करते हैं, वे फ़ैक्टरियों में मज़दूर महिलाओं और बस्तियों में गृहिणियों को संगठित करते हैं, डेलीगेटों की बैठकों का नेतृत्व करते हैं और घर-घर जाकर उद्वेलन संचालित करते हैं।

केंद्रीय और ज़िला स्तर पर महिलाओं के बीच काम के लिए सेक्शनों की स्थापना करना चाहिए, ताकि सोवियत स्कूलों में विशेष कैडरों का प्रशिक्षण हो और काम का विस्तार हो।

बुर्जुआ-पूँजीवादी देशों में

महिलाओं के बीच काम करने वाले आयोगों के वर्तमान कार्यभार वस्तुगत परिस्थिति द्वारा संचालित होते हैं। एक तरफ़ वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरमराना, बेरोज़गारी में बेतहाशा वृद्धि जिसका परिणाम यह है कि महिला मज़दूरों की माँग में कमी हुई है और वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुई है। जीवन निर्वाह के ख़र्चे में वृद्धि; आवास संकट और नए साम्राज्यवादी युद्धों का ख़तरा; और दूसरी तरफ़ हर जगह मज़दूरों द्वारा आर्थिक हड़तालों की श्रृंखला और वैश्विक पैमाने पर गृहयुद्ध शुरू करने के प्रयास – यह सभी विश्व सामाजिक क्रांति की पूर्व पीठिका है।

मज़दूर महिलाओं के आयोगों को सर्वहारा के महत्वपूर्ण कार्यभारों के बारे में सोचना चाहिए, संपूर्णता में पार्टी के नारों के लिए लड़ना चाहिए और बुर्जुआ और सामाजिक समझौतेबाज़ों के ख़िलाफ़ पार्टी की क्रांतिकारी कार्यवाही में महिलाओं को शामिल करना चाहिए।

आयोगों को सिर्फ़ यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि महिलाएँ पार्टी, ट्रेड यूनियनों और दूसरे वर्गीय संगठनों में शामिल हों और समान अधिकार और ज़िम्मेदारी रखें (उनको मज़दूर महिलाओं का अलग-थलग करने के किसी भी प्रयास को नेस्तनाबूद करना चाहिए), बल्कि यह भी कि महिलाएँ पार्टी, यूनियनों और सहकारी संस्थाओं के नेतृत्वकारी निकायों में पुरुषों के साथ बराबरी करते हुए भागीदारी करें।

आयोगों को महिला सर्वहारा और किसान महिलाओं के व्यापक स्तरों को संसद और सभी सामाजिक संस्थाओं के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी के हित में अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि ये अधिकार सीमित हैं और पूँजीवादी शोषण को कमज़ोर करने और नारी मुक्ति को आगे बढ़ाने में कुछ ख़ास नहीं कर सकते और यह कि सोवियत व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से बेहतर है।

आयोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि मज़दूर महिलाएँ, दफ़्तर महिला कर्मचारी और किसान महिलाएँ मज़दूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी आर्थिक और राजनीतिक सोवियतों के चुनावों में सक्रिय भागीदारी करें, उनको गृहिणियों को राजनीतिक कार्यवाहियों में शामिल करना चाहिए और किसान महिलाओं को सोवियतों की अवधारणा के बारे में समझाना चाहिए। आयोगों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करवाने के लिए विशेष तौर पर काम करना चाहिए। उनको मुफ़्त और सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा के अभियान में मज़दूर महिलाओं और पुरुषों को खींचना चाहिए जिससे कि महिला मज़दूरों की कुशलता में वृद्धि हो।

आयोगों को देखना चाहिए कि कम्युनिस्ट महिलाएँ नगर निगम और दूसरी विधान सभाओं, जहाँ भी मताधिकार क़ानून उन्हें यह मौक़ा दे, में भाग लें, ताकि पार्टी के क्रांतिकारी रणकौशल से उन्हें परिचित कराया जा सके। बुर्जुआ राज्य की विधायिका, नगर निगम और दूसरी संस्थाओं में भाग लेते हुए, कम्युनिस्ट महिलाओं को पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों और रणकौशल की रक्षा करनी चाहिए; उनको बुर्जुआ व्यवस्था के दायरे में सुधारों को व्यवहार में हासिल करने से ज़्यादा मज़दूर महिलाओं की तात्कालिक ज़रूरतों और प्रतिदिन के अनुभवों से पैदा हुए प्रश्नों और माँगों का इस्तेमाल सर्वहारा की तानाशाही के द्वारा इन माँगों को जीतने की लड़ाई में महिलाओं को शामिल करने के लिए, क्रांतिकारी नारे के रूप में, इस्तेमाल करने में, ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आयोगों को संसदीय और स्थानीय सरकारी फ़्रैक्शनों के साथ नज़दीकी

संपर्क में रहना चाहिए और स्त्री संबंधित सभी प्रश्नों पर उनसे सलाह-मशविरा करना चाहिए।

आयोगों को महिलाओं को समझाना चाहिए कि व्यक्तिगत घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की व्यवस्था पिछड़ी और ख़र्चीली होती है, कि बच्चों को पालने के बुर्जुआ तौर-तरीक़े उत्तम तरीक़े नहीं हैं। मज़दूर वर्ग के प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पार्टी द्वारा पेश किए गए या समर्थित प्रस्तावों की तरफ़ उन्हें महिलाओं का ध्यान खींचना चाहिए।

कम्युनिस्ट पार्टी में ट्रेड यूनियन महिलाओं को शामिल करने में आयोगों को मदद करनी चाहिए। पार्टी या उसके स्थानीय अनुभागों के नेतृत्व में इस काम को करने के लिए विशेष संगठनकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सहकारी संस्थाओं में मज़दूर महिलाओं को कम्युनिस्ट विचारों के लिए लड़ने और इन संस्थाओं में, जिनकी क्रांति के दौरान और उसके बाद वितरण के केंद्रों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए मज़दूर महिलाओं को तैयार करने के लिए महिलाओं के उद्वेलन आयोगों को प्रचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

आयोगों के संपूर्ण कार्य का लक्ष्य जनता की क्रांतिकारी गतिविधियों को विकसित करने का और इस प्रकार सामाजिक क्रांति को तेज़ करने का होना चाहिए।

आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए देशों में (पूरब)

उन देशों में जहाँ उद्योग अल्पविकसित अवस्था में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और मज़दूर महिलाओं के आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी, यूनियनों और मेहनतकश वर्ग की दूसरी संस्थाओं में महिलाओं के समान अधिकार और ज़िम्मेदारियों को मान्यता मिलती हो।

विभागों या आयोगों को महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले सभी पूर्वाग्रहों

और सभी धार्मिक और धर्म निरपेक्ष रिवाज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना चाहिए। उन्हें यह उद्वेलन पुरुषों के मध्य भी करना चाहिए।

कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके विभागों या आयोगों को महिलाओं की बराबरी के सिद्धांत को बाल शिक्षा, पारिवारिक संबंध और लोकजीवन के क्षेत्रों तक बढ़ाना चाहिए।

विभागों को पूँजी द्वारा शोषित महिलाओं के स्तर मसलन कुटीर उद्योगों और चावल व कपास के बागानों में काम करने वाली महिलाओं का सर्वप्रथम समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सोवियत देशों में विभागों को दस्तकारों के वर्कशाप लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन देशों में जहाँ बुर्जुआ व्यवस्था अभी भी अस्तित्व में है, हमें बागानों में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने और पुरुषों के समान उन्हें यूनियनों में शामिल करने के काम को केंद्रित करना चाहिए।

पूर्व के सोवियत देशों में पिछड़ेपन और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का सर्वोत्तम तरीक़ा जनता के आम सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाना है। विभागों को महिलाओं के लिए खुले वयस्क विद्यालयों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। बुर्जुआ देशों में आयोगों को विद्यालयों में बुर्जुआ प्रभाव के ख़िलाफ़ सीधा संघर्ष छेड़ देना चाहिए।

जहाँ भी संभव हो विभागों या आयोगों को घर-घर जाकर उद्वेलन करना चाहिए। विभागों को मज़दूर महिलाओं के लिए क्लबों का आयोजन करना चाहिए और उनमें सबसे पिछड़ी महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लबों को सांस्कृतिक केंद्र और प्रायोगिक मॉडल संस्था होना चाहिए जो कि दिखाए कि महिलाएँ कैसे अपनी गतिविधियों के द्वारा मुक्ति की तरफ़ बढ़ सकती हैं (क्लबों से संबद्ध क्रेचों, नर्सरियों, साक्षरता स्कूलों इत्यादि की स्थापना द्वारा)।

बंजारों के बीच काम को संगठित करने के लिए सचल क्लबों की स्थापना करनी चाहिए।

सोवियत देशों में विभागों को चाहिए कि व्यावहारिक उदाहरणों के द्वारा वे

मेहनतकश महिलाओं को विश्वास दिलाएँ कि घरेलू अर्थव्यवस्था और परिवार का पुराना रूप उनकी मुक्ति को रोकता है, जबकि सामाजिक श्रम उनको आज़ाद करता है, और इस तरह इन विभागों को अर्थव्यवस्था के प्राक्-पूँजीवादी रूपों से उत्पादन के सामाजिक रूपों की तरफ़ संक्रमण में उपयुक्त सोवियत अंगों की मदद करनी चाहिए।

सोवियत रूस में विभागों को ध्यान देना चाहिए कि पूरब के लोगों के बीच पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकार और हितों की रक्षा करने वाले क़ानूनों का पालन होता हो। विभागों को राष्ट्रीय न्यायालयों में जज या ज्यूरी के बतौर काम करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सोवियतों और कार्यकारिणी में मज़दूर और किसान महिलाओं के संघटन पर नज़र रखते हुए सामाजिक विभागों को चाहिए कि सोवियत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बनाएँ। पूरब की महिला सर्वहारा के बीच में काम वर्ग आधार पर किया जाना चाहिए। विभागों को दिखाना चाहिए कि नारी मुक्ति के प्रश्न का समाधान करने में नारीवादी लोग अक्षम हैं। पूरब के सोवियत देशों में बुद्धिजीवी समुदाय (जैसे कि शिक्षिकाएँ) की महिलाएँ, जो कि कम्युनिज़्म से सहानुभूति रखती हों, को शिक्षण अभियानों में शामिल करना चाहिए। धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय परंपराओं पर अनगढ़ और भौंडे हमलों से बचते हुए, पूरब की महिलाओं के बीच में काम कर रहे विभागों और आयोगों को राष्ट्रवाद और लोगों के दिमाग़ में जड़ जमाए धर्म की ताक़त के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए।

पश्चिम के समान पूरब में भी, मेहनतकश महिलाओं के संगठन को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि, अपने वर्ग के साझे हित में दोनों लिंगों के सर्वहारा की अंतरराष्ट्रीय एकता के लिए तैयारी करनी चाहिए।

(चूँकि पूरब की महिलाओं के बीच काम इतना महत्वपूर्ण और साथ ही इतना नया है, इसलिए इन सिद्धांतों के साथ विशेष निर्देश संलग्न हैं जो कि व्याख्या करते हैं कि किस तरह महिलाओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने के बुनियादी तरीक़े को पूरब के प्रतिदिन के जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करना चाहिए।)

उद्वेलन और प्रचार के तरीक़े

पूरब और पश्चिम की कम्युनिस्ट पार्टियों को महिलाओं के बीच काम करने के इस बुनियादी सिद्धांत को समझना चाहिए – 'कार्यवाही के द्वारा, उद्वेलन और प्रचार'। तभी वे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार, सर्वहारा महिलाओं की कम्युनिस्ट शिक्षा-दीक्षा और कम्युनिज़्म के योद्धाओं का प्रशिक्षण, पूरा करने में सक्षम होंगे।

कार्यवाही के द्वारा उद्वेलन का मतलब होता है मज़दूर महिलाओं की अपनी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना, अपनी क्षमताओं के प्रति उनके संदेहों का निवारण करना और निर्माण या संघर्ष के क्षेत्र में व्यावहारिक काम में उनको शामिल करना। इसका मतलब होता है अनुभव के द्वारा उन्हें यह जानने के लिए शिक्षित करना कि कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हर लाभ, पूँजी के शोषण के ख़िलाफ़ हर कार्यवाही महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होती है। पहले, व्यवहार और कार्यवाही है जो कि कम्युनिस्ट आदर्शों और सैद्धांतिक अवस्थितियों को समझने में मदद करती है और उसके बाद सिद्धांत है जो कि व्यवहार और कार्यवाही को जन्म देते हैं – ये काम करने के वे तरीक़े हैं जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके महिला विभागों को नारी जनसमुदाय तक पहुँचने के लिए अपनाने चाहिए।

विभागों को उद्यम और वर्कशापों के कम्युनिस्ट सेलों के निकट संपर्क में रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सेल में संबंधित फ़ैक्टरी में महिलाओं के बीच काम करने के लिए एक संगठनकर्ता हो। इस तरह विभाग सिर्फ़ मौखिक प्रचार के बजाय कार्यवाही के केंद्र बनेंगे।

विभाग और ट्रेड यूनियनों को अपने प्रतिनिधियों और संगठनकर्ताओं के माध्यम से संपर्क में रहना चाहिए, जो कि ट्रेड यूनियन फ़्रैक्शन के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन विभाग के नेतृत्व में काम करते हैं।

सोवियत देशों में कार्यवाही के द्वारा कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार का मतलब है मज़दूर महिलाओं, किसान महिलाओं, गृहिणियों, और महिला दफ़्तर

कर्मियों को सोवियत निर्माण के हर क्षेत्र में, सेना और पुलिस से लेकर वे क्षेत्र जो सामुदायिक भोजन, सामाजिक शिक्षा की संस्थाओं के जाल, मातृत्व की सुरक्षा इत्यादि के संगठन द्वारा सीधे महिलाओं को मुक्त करते हैं, में शामिल करना। वर्तमान हालात में यह ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बहाली के काम में मज़दूर महिलाओं को शामिल किया जाए।

पूँजीवादी देशों में व्यवहार के द्वारा प्रचार का अर्थ होता है सर्वप्रथम मज़दूर महिलाओं को हड़ताल, प्रदर्शन और संघर्ष का कोई भी रूप जो कि क्रांतिकारी इच्छाशक्ति और चेतना को बढ़ाता है, में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब यह भी है कि उनको सभी तरह के पार्टी कार्य में जिसमें ग़ैर-क़ानूनी कार्य शामिल हैं (ख़ास तौर पर संपर्क कार्य) और पार्टी '***सुबोत्निक*** रविवार' का आयोजन जहाँ मज़दूरों की पत्नियाँ और महिला दफ़्तरकर्मी जो कि कम्युनिज़्म से सहानुभूति रखती हैं, स्वेच्छा से पार्टी के लिए काम करें और बच्चों के कपड़े सीने और मरम्मत इत्यादि के लिए आयोजित सत्र में शामिल करना।

महिलाओं को पार्टी के सभी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अभियानों में शामिल करना, कार्यवाही के द्वारा प्रचार, का एक पक्ष है।

पूँजीवादी देशों में विभागों को अपनी कार्यवाही और अपने प्रभाव का विस्तार सबसे पिछड़े और उत्पीड़ित महिला सर्वहारा तक करना चाहिए। सोवियत देशों में उनको प्रतिदिन के जीवन की परिस्थितियों और पूर्वाग्रहों की ग़ुलाम बनी सर्वहारा और अर्ध-सर्वहारा महिला आबादी के बीच अपना काम करना चाहिए।

आयोगों को मज़दूर महिलाओं और गृहिणियों और किसान महिलाओं और मानसिक श्रम करने वाली महिलाओं (बुद्धिजीवी महिलाएँ) के बीच काम करना चाहिए। प्रचार और उद्वेलन से आयोग को आम बैठकें, एकल उद्यम की बैठकें और मज़दूर महिलाओं और महिला दफ़्तरकर्मियों (ट्रेड या ज़िले के अनुसार) की बैठकें बुलानी चाहिए। उनको आम महिला बैठकें, गृहिणियों की बैठकें इत्यादि भी बुलानी चाहिए।

पूँजीवादी देशों में आयोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रेड यूनियनों, सहकारी संस्थाओं और फ़ैक्टरी परिषदों में कम्युनिस्ट पार्टी के फ़्रैक्शन महिला संगठनकर्ता को नियुक्त करें; अर्थात दूसरे शब्दों में, सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के लिए सर्वहारा की क्रांतिकारी गतिविधि को विकसित करने वाले सभी संगठनों में उनके प्रतिनिधि हों। सोवियत देशों में सभी सोवियत संस्थान जो कि सामाजिक का नेतृत्व, प्रशासन और नियंत्रण करते हैं और जो सर्वहारा तानाशाही का समर्थन करने व कम्युनिज़्म की प्राप्ति में योगदान करते हैं, में वे मज़दूर और किसान महिलाओं की नियुक्ति करें।

आयोग को उन फ़ैक्टरियों या दफ़्तरों में जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ काम करती हैं, में सर्वहारा महिला कम्युनिस्टों की नियुक्ति करनी चाहिए; जैसे कि सोवियत रूस में सफल कोशिशें की जा चुकी हैं, उन्हें कम्युनिस्ट मज़दूर महिलाओं को बड़ी सर्वहारा बस्तियों और औद्योगिक केंद्रों में भेजना चाहिए।

महिलाओं के बीच काम करने वाले आयोग को मज़दूर और किसान महिलाओं की डेलीगेट बैठकों और ग़ैर-पार्टी कांफ्रेंसों को आयोजित करने के लिए रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के महिला विभाग के अत्यधिक सफल अनुभवों को इस्तेमाल करना चाहिए। विभिन्न सेक्टरों के महिला मज़दूरों और महिला दफ़्तरकर्मियों, और किसान महिलाओं और गृहिणियों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए, जहाँ ठोस माँगों और ज़रूरतों पर विचार-विमर्श हो और आयोग चुने जाएँ। इन आयोगों को उन लोगों के साथ नज़दीकी संबंध रखना चाहिए जिन्होंने उन्हें चुना है और महिलाओं के बीच काम के लिए गठित आयोगों से भी ऐसा ही संबंध रखना चाहिए। आयोगों को अपने उद्वेलक, कम्युनिज़्म के प्रति द्वेष रखने वाली पार्टियों की बैठकों की बहसों में शामिल होने के लिए भेजना चाहिए। बैठकों और बहसों के द्वारा प्रचार और उद्वेलन को घर-घर जाकर सुनियोजित उद्वेलन के द्वारा अनुपूरित करना चाहिए। यह काम करने वाली हर कम्युनिस्ट महिला के पास अधिक-से-अधिक दस घरों की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए; गृहिणियों के बीच उद्वेलन करने के लिए उन्हें कम-से-कम सप्ताह में एक चक्कर लगाना चाहिए, और जब कम्युनिस्ट पार्टी कोई अभियान चला रही हो

या किसी कार्यवाही की तैयारी कर रही हो तो और जल्दी-जल्दी जाना चाहिए।

आयोगों को निर्देश दिया जाता है कि अपने उद्वेलन, सांगठनिक और शैक्षणिक कार्यों में लिखित शब्दों को इस्तेमाल करें :

1. ताकि हर देश में महिलाओं के बीच काम करने के बारे में एक केंद्रीय पत्र प्रकाशित करने में मदद मिले।
2. ताकि पार्टी प्रेस में 'मज़दूर महिलाओं का पन्ना' विशेषांकों का प्रकाशन हो सके और सामान्य पार्टी और ट्रेड यूनियन प्रेस में महिलाओं के बीच काम करने के प्रश्न पर लेखों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उपरलिखित प्रकाशनों में संपादकों की नियुक्ति और प्रेस में काम करने के लिए पार्टी और ग़ैर-पार्टी सदस्य, दोनों तरह की मज़दूर महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए आयोग ज़िम्मेदार है।

पर्चों और पैंफ़लेटों के रूप में लोकप्रिय उद्वेलक और शैक्षणिक साहित्य का प्रकाशन आयोग को करवाना चाहिए और उसके वितरण में मदद करनी चाहिए।

आयोग को पार्टी की सभी राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं का प्रभावकारी तरीक़े से इस्तेमाल करने में कम्युनिस्ट महिलाओं की मदद करनी चाहिए।

आयोग को युवा कम्युनिस्ट महिलाओं को सामान्य पार्टी कोर्सों और सांध्य गोष्ठियों में शामिल करना चाहिए तथा उनकी वर्ग चेतना और उनके जुझारूपन को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। मेहनतकश महिलाओं के लिए विशेष संध्याकालीन पाठन एवं विमर्श सत्रों एवं वार्ता श्रृंखलाओं का तभी आयोजन किया जाना चाहिए, जब इनकी वाक़ई ज़रूरत हो और इन्हें टाला न जा सके।

मज़दूर महिलाओं और मज़दूर पुरुषों के बीच कामरेडाना संबंध को मज़बूत करने के लिए न केवल यह ज़रूरी है कि कम्युनिस्ट महिलाओं के लिए विशेष कोर्स और स्कूल का आयोजन नहीं किया जाए, बल्कि सभी सामान्य पार्टी स्कूलों को बिना चूके महिलाओं के बीच काम करने के तरीक़े के बारे में कोर्स शामिल करने चाहिए। विभागों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने द्वारा ख़ास तय संख्या में प्रतिनिधियों को सामान्य पार्टी कोर्स में भेज सकें।

विभागों की संरचना

महिलाओं के बीच काम करने के लिए विभाग और आयोग स्थानीय और क्षेत्रीय और केंद्रीय समिति स्तर पर सभी पार्टी कमेटियों से संबद्ध होते हैं। इनका आकार पार्टी द्वारा तय किया जाता है और ख़ास देश की ज़रूरत पर निर्भर करता है। इन आयोगों में वेतनभोगी कार्यकताओं की संख्या भी अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार पार्टी के द्वारा तय की जाएगी।

महिलाओं के उद्वेलन विभाग की निर्देशिका या आयोग की अध्यक्षता करने वाली स्थानीय पार्टी कमेटी की सदस्य होनी चाहिए। जहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ विभाग की निर्देशिका को कमेटी के सभी सत्रों में महिला विभाग के प्रश्नों पर पूर्ण अधिकार के साथ और दूसरे प्रश्नों पर बात रखने के अधिकार के साथ उपस्थित होना चाहिए।

ऊपर बताए गए सामान्य कार्य के साथ-साथ, ज़िला या काउंटी विभाग या आयोग के पास निम्न अतिरिक्त कार्य हैं : संबंधित ज़िले के विभागों और केंद्रीय विभाग के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करना; संबंधित ज़िला/क्षेत्र के विभागों या आयोगों की कार्यवाहियों के बारे में सूचना एकत्र करना; यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय विभागों को सामग्री के आदान-प्रदान का मौक़ा मिले; ज़िला/काउंटी को साहित्य उपलब्ध कराना; उद्वेलकों को ज़िलों में भेजना; पार्टी सदस्यों को महिलाओं के बीच काम करने के लिए गोलबंद करना; ज़िला/काउंटी की कांफ्रेंस साल में कम-से-कम दो बार आहूत करना जिसमें हर विभाग का प्रतिनिधित्व एक या दो कम्युनिस्ट महिला करें; और संबंधित ज़िला/काउंटी की मज़दूर और किसान महिलाओं की ग़ैर-पार्टी कांफ्रेंसें बुलाना।

कालेजियम के सदस्य का नामांकन विभाग या आयोग के प्रमुख द्वारा और काउंटी या ज़िला कमेटी के अनुमोदन द्वारा होता है। निर्देशिका का चुनाव ज़िला या काउंटी कमेटी के अन्य सदस्यों की ही तरह ज़िला या काउंटी पार्टी कांफ्रेंस में होता है।

ज़िला/काउंटी और स्थानीय विभागों या आयोगों के सदस्यों का चुनाव

शहर, ज़िला या काउंटी में पार्टी कांफ्रेंसों में या उनकी नियुक्ति पार्टी कमेटियों के संपर्क से उपयुक्त विभागों द्वारा की जाती है।

अगर महिला विभाग की निर्देशिका ज़िला पार्टी कमेटी/काउंटी पार्टी कमेटी की सदस्य नहीं है, उसके पास अधिकार होगा कि पार्टी कमेटी के सभी सत्रों में विभाग से संबंधित प्रश्नों के ऊपर पूर्ण मताधिकार के साथ और अन्य सभी प्रश्नों पर बात रखने के अधिकार के साथ उपस्थित रहे।

केंद्रीय पार्टी विभाग, ज़िला/काउंटी विभाग के लिए सूचीबद्ध कार्यों के अतिरिक्त पार्टी के कार्य के बारे में महिलाओं के उद्वेलन विभाग को निर्देश देता है, विभागों के कार्यों की निगरानी करता है, उपयुक्त पार्टी निकायों से संपर्क में महिलाओं के बीच कार्य करने के लिए व्यक्तियों का आवंटन करता है, महिलाओं की क़ानूनी और आर्थिक दशाओं में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नारी श्रम की परिस्थिति और प्रगति की जाँच करता है, अपने प्रतिनिधियों या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से मज़दूर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने या बदलने वाले श्रम और बचपन की सुरक्षा इत्यादि प्रश्नों पर काम करने वाले विशेष आयोगों में भागीदारी करता है, केंद्रीय महिलाओं का पन्ना' का प्रकाशन करता है, मेहनतकश महिलाओं के लिए निर्धारित पत्रिका का संपादन करता है, सभी ज़िला/काउंटी विभागों के प्रतिनिधियों की साल में कम-से-कम एक बैठक बुलाता है, महिलाओं के बीच काम करने वालों के निर्देशकों के लिए राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मेहनतकश महिलाओं और सभी विभाग पार्टी के सभी राजनीतिक और आर्थिक अभियानों और कार्यवाहियों में हिस्सेदारी करें, कम्युनिस्ट महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सचिवालय को एक प्रतिनिधि भेजता है और अंतरराष्ट्रीय मज़दूर महिला दिवस का आयोजन करता है।

अगर महिलाओं के विभाग की निर्देशिका केंद्रीय समिति की सदस्य नहीं है तो उसे केंद्रीय समिति के सभी सत्रों में विभाग से संबंधित प्रश्नों पर पूर्ण मताधिकार के साथ और अन्य सभी प्रश्नों पर बात रखने के अधिकार के साथ उपस्थित होने का अधिकार है। महिला विभाग की निर्देशिका या आयोग की

अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा होती है या उसका चुनाव अखिल पार्टी कांग्रेस में होता है। सभी विभागों या आयोगों द्वारा पारित फ़ैसलों या प्रस्तावों को अंततः पार्टी कमेटियों द्वारा अनुमोदित होना होगा। केंद्रीय विभाग का आकार और पूर्ण मताधिकार वाले सदस्यों की संख्या पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा तय की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय कार्य के बारे में

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय महिला सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टियों के महिलाओं के काम का नेतृत्व करता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा पेश किए गए लक्ष्यों के लिए मज़दूर महिलाओं के संघर्ष को एकताबद्ध करता है, और सभी देशों और सभी क़ौमों की महिलाओं को सोवियतों की सत्ता और मज़दूर वर्ग की तानाशाही के लिए क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल करता है।

• • •

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस पार्टियों और ट्रेड यूनियनों में महिलाओं के किसी भी तरह के अलग संघों का या महिलाओं के विशेष संगठनों का दृढ़ता से विरोध करती है, लेकिन स्वीकार करती है :

महिलाओं के बीच काम करने के विशेष तरीक़े होने चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी को इस काम के लिए विशेष उपकरण बनाना चहिए।

– इसी पुस्तिका से

मुक्तिबोध प्रकाशन 20/-